भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 558
दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्धि की दर

558. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पॉक्सो मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए और पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी और उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पॉक्सो मामलों में सजा दर क्या है और बाल यौन शोषण के अधिकांश मामलों में अभियुक्तों के बरी होने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा पॉक्सो अधिनियम में किए गए संशोधन के निरोधक के रूप में कार्य करने से बच्चों के खिलाफ यौन शोषण में उल्लेखनीय कमी आई है, यदि हां, तो इसके उपलब्ध आंकड़े क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा पॉक्सो अधिनियम के संबंध में जागरुकता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : भारत सरकार बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के तीव्रतापूर्ण विचारण तथा निपटारे के लिए 389 विशेष पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए अक्टूबर, 2019 से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। अक्टूबर, 2019 में शुरू हुई इस स्कीम को दिनांक 31.03.2023 तक बढा दिया गया है। वर्तमान में 381 ई-पोक्सो न्यायालयों सहित 681 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचालनरत है।

राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के दौरान यौन अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों (सीआर), आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों (सीसीएस), विचारण के लिए भेजे गए मामलों (सीएसटी), दोषसिद्ध किए गए मामलों (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा दोषसिद्ध बाल यौन दुरूपयोग वाले मामलों का ब्यौरा पृथक रूप से नहीं रखा जाता है।

भारत सरकार द्वारा पारित यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 बालकों को यौन दुरूपयोग से संरक्षण प्रदान करता है। अपराधियों में भय पैदा करने तथा बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने की दृष्टि से बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने के लिए मृत्यु दंड सहित और भी अधिक कठोर दंड की व्यवस्था करने के लिए सन् 2019 में संशोधन किया गया था।

पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 43 में व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करने के लिए सभी उपाय करेगी। इसके अनुसार, सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ इलैक्ट्रानिक तथा प्रिन्ट मीडिया, परामर्श, कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूर्ववर्ती पोक्सो नियम 2012 को प्रतिस्थापित करके नए पोक्सो नियम 2020 अधिसूचित किए है। पोक्सो नियम, 2020 में यह अधिसूचित है कि केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्हें सूचित करते हुए बच्चों के लिए आयु

उपयुक्त शैक्षिक सामग्री तथा पाठयक्रम तैयार करेगी। नियमों में यह भी अनुबंधित है कि संबंधित सरकारों द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, स्कूल तथा कालेज, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, एकत्रीकरण के स्थानों, विमानपत्तन, टैक्सी स्टैंड सिनेमा हाल तथा इसी प्रकार के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में उपयुक्त सामग्री तथा सूचना का प्रचार प्रसार किया जाए और वर्चुअल स्थान जैसे कि इन्टरनेट और सोशल मीडिया में भी उपयुक्त रूप से प्रचार प्रसार किया जाए।

*****

9 दिसंबर, **2022** को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न **558** का अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	सीआर	सीसीएस	सीएसटी	सीओएन	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1.	आंध्र प्रदेश	2019	502	313	313	16	1542	645	589	20
		2020	454	521	521	18	1863	536	793	19
		2021	466	535	535	8	2295	716	682	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	2019	36	24	24	0	52	40	27	0
		2020	28	18	18	0	70	34	26	0
		2021	23	32	32	6	96	39	36	6
3.	असम	2019	1779	1396	1396	83	3750	1890	1548	84
		2020	1496	1340	1340	43	4720	2327	1610	43
		2021	1926	1723	1723	73	5988	2686	2040	77
4.	बिहार	2019	1540	1184	1184	113	3575	1837	1532	132
		2020	1591	1350	1350	41	4853	1700	1533	46
		2021	1571	1564	1564	208	6117	1737	1767	236
5.	छत्तीसगढ	2019	2027	2073	2073	349	4799	2513	2453	414.
		2020	2049	2038	2038	218	6231	2459	2417	245
		2021	2332	2323	2323	274	7617	2783	2755	319
6.	गोवा	2019	0	0	0	0	2	0	0	0
		2020	5	5	5	0	7	5	5	0
		2021	2	1	1	0	8	0	1	0
7.	गुजरात	2019	2253	2072	2072	74	8604	2773	2748	89
		2020	2345	2272	2272	23	10731	2985	2959	27
		2021	2443	2390	2390	71	12647	2978	2971	79
8.	हरियाणा	2019	2074	1686	1686	333	2962	2189	2135	395
		2020	1853	1506	1506	56	4255	1928	1900	67
		2021	2249	1683	1683	205	5228	2311	2192	238
9.	हिमाचल प्रदेश	2019	12	8	8	0	54	7	9	0
		2020	5	9	9	0	62	11	14	0
		2021	13	10	10	2	66	20	18	2
10.	झारखंड	2019	654	459	459	100	1024	638	530	104
		2020	938	582	582	137	1398	723	673	152
		2021	806	637	637	107	1848	689	736	119

11.	कर्नाटक	2019	2160	2021	2021	190	7137	2665	2633	208
		2020	2104	2016	2016	61	8568	2527	2507	69
		2021	2813	2774	2774	249	10027	3686	3463	259
12.	केरल	2019	1283	1009	1009	40	4216	1443	1097	42
		2020	2163	1522	1522	41	5564	2303	1720	41
		2021	2647	2752	2752	140	7724	3281	3065	151
13.	मध्य प्रदेश	2019	6123	5867	5867	874	9677	7376	7454	1086
		2020	5648	5558	5558	482	13805	6989	6964	568
		2021	6070	5848	5848	914	16760	7068	7441	1120
14.	महाराष्ट्र	2019	6558	6295	6295	706	25807	8723	7510	792
		2020	5687	5750	5750	308	30530	7596	6956	354
		2021	6200	6443	6443	527	34879	8290	7395	598
15.	मणिपुर	2019	58	59	59	5	189	59	74	5
		2020	75	53	53	1	241	72	55	1
		2021	97	74	74	7	300	105	103	7
16.	मेघालय	2019	219	255	255	96	987	309	287	96
		2020	328	259	259	48	1158	347	304	55
		2021	384	366	366	48	1454	422	369	48
17.	मिजोरम	2019	79	78	78	59	398	79	79	63
		2020	105	100	100	44	436	108	104	44
		2021	104	97	97	23	505	99	98	26
18.	नागालैंड	2019	12	12	12	1	61	14	13	1
		2020	18	15	15	6	69	23	17	6
		2021	31	30	30	4	94	39	36	4
19.	ओडिशा	2019	2036	1779	1779	33	4798	2033	2124	33
		2020	2202	2086	2086	35	6661	2379	2541	37
		2021	2498	2360	2360	56	8608	2647	2778	57
20.	पंजाब	2019	389	319	319	87	606	484	375	121
		2020	720	684	684	51	1154	828	829	70
		2021	751	710	710	105	1514	867	837	142
21.	राजस्थान	2019	596	423	423	178	3152	548	543	216
		2020	244	161	161	302	2942	211	209	371
		2021	601	397	397	85	3133	526	518	117

22.	सिक्किम	2019	91	88	88	12	212	95	94	12
		2020	98	86	86	11	274	102	91	11
		2021	100	102	102	19	325	111	109	19
23.	तमिलनाडु	2019	2396	2228	2228	286	5599	3045	2553	318
		2020	3090	2472	2472	176	7293	3795	2840	260
		2021	4465	3373	3373	226	9539	5541	4046	258
24.	तेलंगाना	2019	1998	1724	1724	89	3806	2549	2139	108

		2020	2074	2053	2053	102	5267	2789	2471	120
		2021	2698	2468	2468	96	6828	3138	2842	100
25.	त्रिपुरा	2019	176	173	173	34	649	193	183	40
		2020	143	143	143	11	759	181	193	11
		2021	125	135	135	19	832	166	176	21
26.	उत्तर प्रदेश	2019	7594	6478	6478	1002	23187	9650	9377	1674
		2020	6898	6817	6817	1276	28199	10248	9882	1708
		2021	7129	6881	6881	1514	32720	10468	9882	1958
27.	उत्तराखंड	2019	369	384	384	92	868	452	451	111
		2020	573	616	616	35	1434	675	674	39
		2021	712	672	672	42	2027	801	819	42
28.	पश्चिम बंगाल	2019	2256	2531	2531	81	8367	2530	3292	98
		2020	2657	2621	2621	29	10784	2568	3003	30
		2021	2607	2640	2640	68	13045	2778	3303	69
	कुल (राज्य)	2019	**45270**	**40938**	**40938**	**4933**	**126080**	**54779**	**51849**	**6262**
		2020	**45591**	**42653**	**42653**	**3555**	**159328**	**56449**	**53290**	**4394**
		2021	**51863**	**49020**	**49020**	**5096**	**192224**	**63992**	**60478**	**6080**
29.	अंडमान व निकोबार	2019	94	87	87	3	291	99	95	3
		2020	118	124	124	11	384	116	137	11
		2021	108	107	107	13	381	117	131	15
30.	चंडीगढ़	2019	5	6	6	0	8	5	6	0
		2020	0	1	1	0	8	0	2	0
		2021	1	0	0	2	5	0	0	2
31.	दादर व नागर हवेली और दमन और दीव	2019[+]	54	54	54	0	68	62	56	0
		2020	42	43	43	2	89	56	51	2
		2021	53	50	50	2	98	61	57	2
32.	दिल्ली	2019	1719	1589	1589	718	8406	2269	1924	720
		2020	1197	1667	1667	72	9981	1994	1927	87
		2021	1454	1579	1579	42	11489	1952	1895	50
33.	जम्मू और कश्मीर	2019*	109	79	79	0	96	101	98	0
		2020	200	153	153	2	242	235	230	4
		2021	294	251	251	1	478	343	333	1
34.	लद्दाख	2019	-	-	-	-	-	-	-	-

		2020	0	0	0	0	1	0	0	0
		2021	0	0	0	0	1	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	2019	25	11	11	0	26	27	13	0
		2020	8	6	6	2	29	11	6	2
		2021	14	19	19	0	46	31	21	0
36.	पुद्दुचेरी	2019	48	45	45	4	209	74	74	4
		2020	65	62	62	42	209	141	120	42
		2021	87	103	103	0	312	169	111	0
	कुल (यूटी)	2019	**2054**	**1871**	**1871**	**725**	**9104**	**2637**	**2266**	**727**
		2020	**1630**	**2056**	**2056**	**131**	**10943**	**2553**	**2473**	**148**
		2021	**2011**	**2109**	**2109**	**60**	**12810**	**2673**	**2548**	**70**
	अखिल भारत (राज्य और संघ शासित क्षेत्र)	2019	**47324**	**42809**	**42809**	**5658**	**135184**	**57416**	**54115**	**6989**
		2020	**47221**	**44709**	**44709**	**3686**	**170271**	**59002**	**55763**	**4542**
		2021	**53874**	**51129**	**51129**	**5156**	**205034**	**66665**	**63026**	**6150**

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी/गृह मंत्रालय

सीआर - पंजीकृत मामले सीसीएस - आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले, सीएसटी - विचारण के लिए भेजे गए मामले, सीओएन - दोषसिद्ध किए गए मामले, सीआईपीटीईवाई - वर्ष के अंत तक विारण हेतु लंबित मामले

पीएआर - ग्रिफतार किए गए व्यक्ति

पीसीएस - आरोप पत्र दाखिल किए गए व्यक्ति

पीसीवी - दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति

+ 2019 के दौरान पूर्ववर्ती डी व एन हवेली संघ शासित क्षेत्र तथा दमन व दीव का संयुक्त आंकडा

*2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववती जे व के राज्य के आंकडे।